UPCD010021352024

न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-1, चन्दौली।

सिविल प्रकीर्ण वाद संख्या : 85 सन् 2024

विद्यावती देवी बनाम बाल मुकुन्द वगैरह।

दिनाँक :31.03.2026,

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अपीलार्थिनी विद्यावती देवी एवं प्रत्यर्थी संख्या-3 चन्द्रभूषण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया।

दौरान बहस प्रत्यर्थी संख्या-3 चन्द्रभूषण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि पारित आदेश दिनाँकित 23.09.2025 के बावजूद भी अपीलार्थिनी द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर सुनवाई हेतु बल नहीं दिया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या-3 द्वारा प्रस्तुत सिविल प्रकीर्ण को हर्जे पर ग्राह्य किये जाने की याचना की गयी।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुनने एवं पत्रावली के सम्यक् अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा मु.नं. 466/2011 विद्यावती देवी बनाम बाल मुकुन्द वगैरह में पारित आदेश दिनाँकित 14.02.2024 के विरुद्ध प्रारम्भ में अपीलार्थिनी द्वारा निगरानी दाखिल किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या-3 द्वारा आपत्ति किये जाने पर पारित आदेश दिनाँकित 23.09.2025 द्वारा संशोधन के माध्य से उक्त निगरानी को प्रकीर्ण सिविल अपील के रुप में संशोधित किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आदेश दिनाँकित 23.09.2025 के पश्चात् आज अपीलार्थिनी की ओर से ग्राह्यता के प्रश्न पर सुनवाई किये जाने का अनुरोध किया गया। पारित आदेश दिनाँकित 14.02.2024 के विरुद्ध दाखिल प्रकीर्ण सिविल अपील के रुप में ग्राह्य किये जाने योग्य है।

आदेश

अपीलार्थिनी/वादिनी की ओर से प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील मु. 500/-रु. हर्जे पर अंगीकृत किया जाता है। बतौर प्रकीर्ण सिविल अपील मूल नंबर पर दर्ज रजिस्टर हो। तद्नुसार सिविल प्रकीर्ण वाद निस्तारित किया जाता है। बतौर प्रकीर्ण सिविल अपील दर्ज किये जाने हेतु पत्रावली माननीय जनपद न्यायाधीश, चन्दौली के कार्यालय में प्रेषित हो। लिपिक आवश्यक कार्यवाही अविलम्ब करें। प्रकीर्ण सिविल अपील के रुप में दर्ज रजिस्टर होने के पश्चात् विपक्षी संख्या-1, 2 एवं 4 लगायत 10 को नोटिस जारी हो। अपीलार्थिनी आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह करें। हर्जा नियत तिथि तक अदा हो। अग्रिम नियत तिथि तक सम्पूर्ण हर्जा (पूर्व का भी) अदा न करने की स्थिति में यह आदेश स्वतः निष्प्रभावी समझा जाय। पत्रावली वास्ते बहस दिनाँक 14.05.2026 को पेश हो।

अपर जनपद न्यायाधीश,

न्यायालय संख्या-1, चन्दौली।